

विज्ञापन सं. 53/2023

संघ लोक सेवा आयोग

संयुक्त सचिव और निदेशक / उप सचिव स्तर के अधिकारियों की

संविदा आधार पर पार्श्व (लेटरल) भर्ती के लिए

ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओआरए*) आमंत्रित करता है।

(वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से*)

रिक्ति विवरण

भारत सरकार ने संयुक्त सचिव और निदेशक/उपसचिव स्तर के अधिकारियों की पार्श्व भर्ती के लिए एक अधियाचना प्रस्तुत की है। तदनुसार, ऐसे प्रतिभाशाली एवं आत्मप्रेरित भारतीय नागरिक संविदा आधार पर (राज्यों / संघ शासित संवर्गों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू) स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर) तीन वर्ष की अवधि के लिए (कार्य निष्पादन के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है) जो सरकार में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है, में निम्नलिखित पदों पर संयुक्त सचिव या निदेशक/उपसचिव, ग्रुप 'ए' स्तर पर भर्ती होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के इच्छुक हैं, से वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन पत्र 03 जुलाई, 2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं।

संयुक्त सचिव

1. (पद आईडी सं. 23065301403) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बैंकिंग, बीमा और पेंशन) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक : स्नातक की डिग्री।

(ख) अनुभव : वित्तीय सेवाएं क्षेत्र (बैंक / बीमा कंपनी / पेंशन निधि प्रबंधक) में पंद्रह वर्ष का कार्य अनुभव।

वांछनीय : अर्थशास्त्र / प्रबंधन / बीमा / बीमांकिक (एक्चुरियल साइंस) में स्नातकोत्तर डिग्री; या कंप्यूटर अनुप्रयोग (एमसीए) में मास्टर; या विधि स्नातक (एलएलबी)।

कार्य विवरण :

- (i) वित्तीय सेवा क्षेत्र का विकास।
- (ii) क्षेत्र में विकास का विश्लेषण और बैंकिंग, बीमा और पेंशन क्षेत्रों के संबंध में विधि और सार्वजनिक नीति का निर्धारण।
- (iii) वित्तीय सेवा क्षेत्र में नवाचार।
- (iv) क्षेत्र के नियामकों से संबंधित नियमन के पहलू।
- (v) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का कार्य-निष्पादन और नियमन विधि।

2. (पद आईडी सं. 23065302403) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिन टेक और साइबर सुरक्षा) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक : इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई. / बी. टेक या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : साइबर / सूचना सुरक्षा / सूचना प्रौद्योगिकी / डिजिटल / फिन टेक से संबंधित कार्यों में सात वर्षों के अनुभव सहित वित्तीय सेवाएं क्षेत्र (बैंकिंग, बीमा, पेंशन) में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

- (i) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री / पीजीडीएम।

- (ii) साइबर सुरक्षा जैसे प्रमाणित सूचना सुरक्षा ऑडिटर (सीआईएसए) प्रमाणित सूचना प्रणाली सुरक्षा पेशेवर (प्रोफेशनल) (सीआईएसएसपी) में प्रमाणन।

कार्य विवरण :

बैंकिंग, बीमा और पेंशन क्षेत्रों में फिन टेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था इकोसिस्टम और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना। डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिन टेक और साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार, वित्तीय सेवाएं क्षेत्र नियामकों, राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंसियों में विभिन्न हितधारकों के साथ परियोजना प्रबंधन और समन्वय रखना। स्ट्रेटजिक और नीतिगत मामलों पर इन्पुट्स प्रदान करना। विभाग के सीआईएसओ के रूप में कार्य करना। साइबर संकट प्रबंधन योजना और विभाग की अन्य साइबर, साइबर सुरक्षा से संबंधित नीतियां बनाना। वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की पहचान करने से संबंधित मामलों। उम्मीदवार वित्तीय क्षेत्र में गतिशील और आधुनिक डिजिटल समाधानों और साइबर सुरक्षा में रिजिलियन्स बनाए रखने हेतु संबंधित सेक्टर में किए जा रहे प्रयासों की निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे और वित्तीय क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और भविष्य में होने वाले संभावित परिवर्तनों को देखते हुए अतिरिक्त कार्यों का निर्वाह करेंगे।

3. (पद आईडी सं. 23065303403) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (किशोर एवं प्रजनन स्वास्थ्य) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

(क) शैक्षिक : जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर सहित एमबीबीएस।

(ख) अनुभव : स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दस वर्ष का अनुभव जन स्वास्थ्य में नीति निर्माण / कार्यान्वयन के क्षेत्रों में होना चाहिए।

वांछनीय :

- (i) किशोर स्वास्थ्य में प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य।
- (ii) जन स्वास्थ्य प्रणाली और संगत सरकारी नीतियां / कार्यनीतियाँ विशेष रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य योजनाएं, की जानकारी ।

कार्य विवरण :

- (i) वह किशोर स्वास्थ्य / स्कूल स्वास्थ्य से संबंधित सभी तकनीकी और कार्यक्रम संबंधी पहलुओं के संबंध में नीति निर्माण, विभिन्न कार्यक्रमों / स्कीमों / परियोजनाओं आदि के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा / होगी।
- (ii) मौजूदा किशोर स्वास्थ्य और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, प्रभावी कामकाज, पहुंच, स्वीकार्यता, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और निरंतरता का नेतृत्व करना, और ऐसा करते समय:

क. किशोरों के स्वास्थ्य और स्कूली बच्चों से संबंधित सभी अंतर / अंतः मंत्रालयी और संसदीय मामलों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करना।

ख. राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय तकनीकी परामर्शों / कार्यशालाओं / सेमिनारों में सरकार की भागीदारी करना और प्रतिनिधित्व करना।

ग. कार्यक्रमों के इंटर विभागीय सम्मिलन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।

घ. किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने तथा निगरानी के लिए संयुक्त नीति नियोजन के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों नामतः शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग करने सहित समस्त सम्मिलन प्रयासों में सहयोग करना।

ड. किशोर एवं युवा अनुकूल सेवा प्रदाता / राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण सामग्रियों, मार्गदर्शिका और प्रक्रियात्मक दस्तावेजों को अद्यतन करने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना।

- च. किशोर स्वास्थ्य और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर मौजूदा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और अन्य सूचना सहायता सामग्री के सृजन और / या अद्यतन करने के लिए मार्गदर्शन करना।
- छ. किशोर स्वास्थ्य के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के मूल्यांकन के लिए केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करना और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठकों में भाग लेना।
- ज. किशोर स्वास्थ्य पर विभिन्न विकास के सहभागी, एनजीओ, शिक्षविदों (एकेडेमिया और) अन्य हितधारकों के साथ समन्वय और संमिलन के प्रयासों पर कार्य करना।
- (iii) राष्ट्रीय कार्यनीतियों और नीतियों के संचालन या उनके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए मानदंडों और मानकों को विकसित करने या अद्यतन करने के लिए किशोर स्वास्थ्य के क्षेत्र (विशेषज्ञ समितियां, पेशेवर निकायों आईएपी, एफओजीएसआई, एकेडेमिया और अन्य समूह द्वारा उपलब्ध कराये गए संगत मार्गदर्शन से) के तहत व्यापक विशेषज्ञता वाले विषयों की पहचान करना।
- (iv) सूचना अंतरण हेतु अभिनव तंत्र विकसित करने में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना ताकि उपलब्ध प्रमाण और दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से व्यवहार में अंतरित किया जा सके।
- (v) बाधाओं और चुनौतियों और कमियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम संबंधी समीक्षाएं और आकलन करना और सुधारों की सिफारिश करना और इसके कार्यान्वयन में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश का सहयोग करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

निदेशक / उप सचिव

4. (पद आईडी सं. 23065304403) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद के लिए :

(क) **शैक्षिक :** सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रणाली प्रबंधन (एमआईएसएम) में मास्टर डिग्री या प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा या सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन में एमबीए।

(ख) **अनुभव :** क्लाउड अवसंरचना / साइबर सुरक्षा / एआई / एमएल और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए डिजिटल सेवा प्रणाली और डिजिटल अवसंरचना के विकास सहित एमआईएस / ई-शासन / डाटा प्रबंधन में पांच वर्षों का अनुभव सहित आईटी क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद के लिए :

(क) **शैक्षिक :** सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रणाली प्रबंधन (एमआईएसएम) में मास्टर डिग्री या प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा या सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन में एमबीए।

(ख) **अनुभव :** क्लाउड अवसंरचना / साइबर सुरक्षा / एआई / एमएल और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए डिजिटल सर्वेक्षण प्रणाली और डिजिटल अवसंरचना के विकास सहित एमआईएस / ई-शासन / डाटा प्रबंधन में पांच वर्ष के अनुभव सहित आईटी क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण

वांछनीय :

किसी आईटी विभाग का प्रबंधन करने का अनुभव।

कार्य विवरण :

- (i) कृषि में “राष्ट्रीय ई-शासन योजना” का कार्यान्वयन।
- (ii) डिजिटल कृषि मिशन : कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का सृजन करना जो संगत सूचना सेवाओं के माध्यम से फसल नियोजन और स्वास्थ्य के लिए समावेशी, किसान केन्द्रित समाधान और फार्म निविष्टियां, क्रेडिट और बीमा, फसल अनुमान के लिए मदद, बाजार आसूचना, और कृषि टेक उद्योग और स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए ओपन सोर्स, ओपन स्टैण्डर्ड और अंतर-प्रचालित आम बेहतरी का साधन बन सके।
- (iii) कृषि के लिए डिजिटल अवसंरचना पर अवधारणा पत्रों की संकल्पना और विकास और तीन महत्वपूर्ण रजिस्ट्रियों (किसान, फार्म भूमि प्लॉट, और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से फसल बुआई के लिए गए आंकड़े) के साथ ‘डिजिटल जन अवसंरचना का सृजन करना, जिसके अंतर्गत कृषि मूल्य श्रृंखला में किसान-केंद्रित डिजिटल सेवा आपूर्ति समाधानों का विकास करने के लिए एकीकृत किसान सेवा इन्टरफेस (यूएफएसआई) होगा।
- (iv) साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन और निगरानी करना।
- (v) गति शक्ति की तर्ज पर कृषि क्षेत्र में सभी हितधारकों की प्रमाण-आधारित निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और संबंधित डेटाबेस का प्रयोग करते हुए ‘कृषि-निर्णय समर्थन प्रणाली (कृषि-डीएसएस)’ का विकास।
- (vi) एक मजबूत, प्रभावशाली, आन-टाइम, पारदर्शी, डिजिटल रूप से संचालित ‘डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली’ का विकास करना जो नवीनतम तकनीकी रूप से उन्नत जैसे कि विजुअल और उन्नत

विश्लेषणीय, जीआईएस-जीपीएस प्रौद्योगिकीय और एआई / एमएल का प्रयोग कर सके।

- (vii) विभाग की सभी स्कीमों, परामर्शदाताओं की भर्ती इत्यादि के लिए आईटी प्रणालियों और सेवाएं जैसे आईटी संसाधन, क्लाउड अवसंरचना की खरीद करना।
- (viii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत विभिन्न स्कीमों के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) के लिए कार्य योजना बनाना।
- (ix) विभिन्न वेबसाइट / एप्लीकेशन / पोर्टल / एप्प का अनुरक्षण और विकास।
- (x) कृषि में भू-स्थानिक समाधानों से संबंधित राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 'कृषि मैपर' का कार्यान्वयन और विकास, यह फ्रेमवर्क सिंगल पॉइंट पहुँच के माध्यम से कृषि में विभिन्न भू-स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा की पहुँच सुगम बनाएगा जिसमें कृषि में विभिन्न डेटा एम 1 डी विषयगत लेयर शामिल है। कृषि मैपर से, प्रयासों की पुनरावृत्ति में कमी आएगी और भारत में नवप्रवर्तकों को विश्लेषण के लिए तैयार डेटा उत्पाद उपलब्ध होगा।

5. (पद आईडी सं. 23065305403) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (साइबर सुरक्षा) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक: कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. / बी.टेक / एम.एससी या एमसीए ।

(ख) अनुभव :

वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर / सूचना सुरक्षा / परियोजना प्रबंधन भूमिकाओं में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई. / बी.टेक / एम.एससी. या एमसीए।

(ख) अनुभव : वित्तीय सेवा क्षेत्र में साइबर / सूचना सुरक्षा / परियोजना प्रबंधन भूमिकाओं में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कम से कम सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण

वांछनीय:

साइबर सुरक्षा में प्रमाणन जैसे कि प्रमाणित सूचना सुरक्षा परीक्षक (सीआईएसए), प्रमाणित सूचना प्रणाली सुरक्षा पेशेवर (सीआईएसएसपी)।

कार्य विवरण :

वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा का नियमन। साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार, वित्तीय क्षेत्र नियामकों, राष्ट्रीय और वैश्विक एजेंसियों में विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करना और परियोजनाओं का प्रबंधन करना स्ट्रैटेजिक और नीतिगत मामलों में इनपुट प्रदान करना। उम्मीदवार वित्तीय क्षेत्र में गतिशील और आधुनिक साइबर सुरक्षा में रिजिलियन्स बनाए रखने हेतु संबंधित सेक्टर में किए जा रहे प्रयासों की निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे और वित्तीय क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और भविष्य में होने वाले संभावित परिवर्तनों को देखते हुए अतिरिक्त कार्यों का निर्वाह करेंगे। उम्मीदवार नियामकों और अन्य संबंधित एजेंसियों / विभागों के साथ परामर्श करके वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। उम्मीदवार समस्त साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्य, डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता से संबंधित कार्य, डेटा रेजिडेंसी मुद्दे में सहभागिता करेंगे और वित्तीय क्षेत्र में साइबर मुद्दों से संबंधित सभी कार्यों को देखेंगे जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों / संस्थानों / भारत सरकार के विभागों के समक्ष आएंगे को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साइबर संकट प्रबंधन योजना, विभाग की साइबर / सूचना नीतियां सहित साइबर से संबंधित नीतियों के

मसौदे बनाना / अद्यतन करना। वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसंरचना की पहचान और अधिसूचना जारी करना ।

6. (पद आईडी सं. 23065306403) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिन टेक) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद के लिए :

(क) **शैक्षिक :** इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई./ बी.टेक / एम.एससी या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ख) **अनुभव :** फिन टेक कंपनियों / बैंको के फिन टेक के कार्य / वित्तीय संस्थानों या बीमा वित्तीय क्षेत्र नियामकों में पांच वर्ष के अनुभव सहित वित्तीय सेवा क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद के लिए :

(क) **शैक्षिक :** इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर विज्ञान में बी.ई./ बी.टेक / एम.एससी या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ख) **अनुभव :**

फिन टेक कंपनियों / बैंको के फिन टेक कार्य / वित्तीय संस्थानों या बीमा वित्तीय क्षेत्र नियामकों में पांच वर्ष के अनुभव सहित वित्तीय सेवा क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कम से कम सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण

वांछनीय :

व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री।

कार्य विवरण :

- (i) डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिन टेक उद्योग में नए चलन और विकास पर परामर्श देना और निगरानी करना विशेष रूप से जो बैंकिंग, बीमा, और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- (ii) फिन टेक सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की पहचान करना, निवेश को सुगम बनाना और निगरानी करना।
- (iii) 'डिजिटल अवसंरचना में कमी की पहचान करना तथा कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय घाटा नीति हस्तक्षेपों का वित्तपोषण करना। फिन टेक स्टार्ट-अप्स के लिये अन्य विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- (iv) सीमा पार भुगतान और प्रेषणों सहित भारत के योगदान को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था के मुद्दों को उठाना और आगे बढ़ाना।
- (v) विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियामक इकाइयों के साथ फिन टेक और डीप टेक (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, ब्लॉक चैन आदि) से संबंधित मामलों में समन्वय करना।

7. (पद आईडी सं. 23065307403) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (अर्थशास्त्री) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर पद के लिए :

(क) शैक्षिक : अर्थशास्त्र में पीएच.डी।

(ख) अनुभव : बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अर्थशास्त्री के रूप में दस वर्षों का अनुभव।

उप सचिव स्तर पद के लिए :

(क) शैक्षिक : अर्थशास्त्र में पीएच.डी।

(ख) अनुभव : बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अर्थशास्त्री के रूप में सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए कार्य विवरण

कार्य विवरण :

वित्तीय क्षेत्र, प्रभाव विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण आदि पर आर्थिक परामर्श।

8. (पद आईडी सं. 23065308403) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (किशोर स्वास्थ्य), का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : जन स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य नीति या सामुदायिक चिकित्सा या स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर।

(ख) अनुभव : स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव जन स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति निर्माण / कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में होना चाहिए।

उप सचिव स्तर पद के लिए:

(क) शैक्षिक : जन स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य नीति या सामुदायिक चिकित्सा या स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर।

(ख) अनुभव : स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव जन स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति निर्माण / कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजना के कार्यान्वयन के क्षेत्र में होना चाहिए।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए कार्य विवरण

कार्य विवरण :

- (i) वह किशोर स्वास्थ्य / स्कूल स्वास्थ्य से संबंधित सभी तकनीकी और कार्यक्रम संबंधी पहलुओं के संबंध में नीति निर्माण, विभिन्न कार्यक्रमों / स्कीमों / परियोजनाओं आदि के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा / होगी।
- (ii) मौजूदा किशोर स्वास्थ्य और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, प्रभावी कामकाज, पहुंच, स्वीकार्यता, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और निरंतरता का नेतृत्व करना, और ऐसा करते समय:
- (क) किशोरों के स्वास्थ्य और स्कूली बच्चों से संबंधित सभी अंतर / अंतः मंत्रालयी और संसदीय मामलों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करना।
- (ख) राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय तकनीकी परामर्शों / कार्यशालाओं / सेमिनारों में सरकार की भागीदारी करना और प्रतिनिधित्व करना।
- (ग) कार्यक्रमों के इंद्रा विभागीय सम्मिलन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
- (घ) किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने तथा निगरानी के लिए संयुक्त नीति नियोजन के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों नामतः शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग करने सहित समस्त सम्मिलन प्रयासों में सहयोग करना।
- (ङ) किशोर एवं युवा अनुकूल सेवा प्रदाता / राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण सामग्रियों, मार्गदर्शिका और प्रक्रियात्मक दस्तावेजों को अद्यतन करने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना।
- (च) किशोर स्वास्थ्य और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर मौजूदा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और अन्य सूचना सहायता सामग्री के सृजन और / या अद्यतन करने के लिए मार्गदर्शन करना।

- (छ) किशोर स्वास्थ्य के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के मूल्यांकन के लिए केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करना और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठकों में भाग लेना।
- (ज) किशोर स्वास्थ्य पर विभिन्न विकास के सहभागी, एनजीओ, एकेडेमिया और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय और संमिलन के प्रयासों पर कार्य करना।
- (iii) राष्ट्रीय कार्यनीतियों और नीतियों को संचालित करने या उनके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए मानदंडों और मानकों को विकसित करने या अद्यतन करने के लिए किशोर स्वास्थ्य के क्षेत्र (विशेषज्ञ समितियों, पेशेवर निकायों, आईएपी, एफओजीएसआई, शिक्षाविदों और अन्य समूहों द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक मार्गदर्शन से) के तहत व्यापक प्राथमिकता वाले विषयों की पहचान करना।
- (iv) राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना अंतरण में योग्य बनाने के लिए अभिनव क्रिया-विधि में सहायता करना ताकि प्रमाण और मार्गदर्शिका को राष्ट्र और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक प्रभावशाली तरीके व्यवहार में अंतरित किया जा सके।
- (v) बाधाओं और चुनौतियों और अंतरालों की पहचान करने के लिए कार्यक्रम संबंधी नियमित समीक्षाएं और आकलन करना, और सुधारों की सिफारिश करना और इसके कार्यान्वयन में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सहायता करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

9. (पद आईडी सं. 23065309403) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (शहरी स्वास्थ्य) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर पद के लिए :

(क) शैक्षिक : जन स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य नीति या सामुदायिक चिकित्सा या स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर के साथ एमबीबीएस / बीडीएस।

(ख) अनुभव : स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव जन स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति निर्माण / कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन का होना चाहिए।

उप सचिव स्तर पद के लिए :

(क) शैक्षिक : जन स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य नीति या सामुदायिक चिकित्सा या स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर के साथ में एमबीबीएस / बीडीएस।

(ख) अनुभव : स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव जन स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति निर्माण / कार्यक्रमों, स्कीमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन का होना चाहिए।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण

वांछनीय :

- (i) शहरी स्वास्थ्य में प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य।
- (ii) जन स्वास्थ्य प्रणाली और संगत सरकारी नीतियों / कार्यनीतियों विशेष रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य मिशन की जानकारी।

कार्य विवरण :

- (i) शहरी स्वास्थ्य से संबंधित सभी तकनीकी और कार्यक्रम संबंधी पहलुओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव का सहयोग करना।
- (ii) मौजूदा शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, प्रभावी कार्यकरण, पहुंच, स्वीकार्यता, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और निरंतरता का मार्गदर्शन करना, और ऐसा करते समय :

- (क) शहरी स्वास्थ्य से संबंधित सभी अंतर / अंतः मंत्रालयी और संसदीय मामलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करना।
- (ख) राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय तकनीकी परामर्शों / कार्यशालाओं / सेमिनारों में सरकारी भागीदारी और प्रतिनिधित्व करना।
- (ग) कार्यक्रमों के अंतः विभागीय संमिलन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
- (घ) शहरी जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त नीति नियोजन के माध्यम से तथा निगरानी से संबंधित मंत्रालयों नामतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग करने सहित समस्त संमिलन के प्रयासों में सहायता करना।
- (ङ) शहरी स्वास्थ्य के लिए सेवा प्रदाता / राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, मार्गदर्शिका, और क्रिया-विधि दस्तावेजों को अद्यतन करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना।
- (च) शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर मौजूदा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) और अन्य सूचना सहायक सामग्री का सृजन और / या अद्यतन करने के लिए मार्गदर्शन करना।
- (छ) शहरी स्वास्थ्य के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के मूल्यांकन के लिए केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करना और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठकों में भाग लेना।

- (ज) शहरी स्वास्थ्य पर विभिन्न विकास के सहभागी, एनजीओ, अकडेमिया और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय और संमिलन के प्रयासों पर कार्य करना।
- (iii) राष्ट्रीय कार्यनीतियों और नीतियों को संचालित करने या उनके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए मानदंडों और मानकों को विकसित करने या अद्यतन करने के लिए शहरी स्वास्थ्य के क्षेत्र (विशेषज्ञ समितियों, एकेडेमिया और अन्य समूहों द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक मार्गदर्शन से) के तहत व्यापक प्राथमिकता वाले विषयों की पहचान करना।
- (iv) राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना अंतरण में योग्य बनाने के लिए अभिनव क्रिया-विधि में सहायता करना ताकि प्रमाण और मार्गदर्शिका को राष्ट्र और क्षेत्रीय स्तर पर अधिक प्रभावशाली तरीके से व्यवहार में अंतरित किया जा सकें।
- (v) बाधाओं और चुनौतियों और अंतरालों की पहचान करने के लिए कार्यक्रम संबंधी नियमित समीक्षाएं और आकलन करना, और सुधारों की सिफारिश करना और इसके कार्यान्वयन में राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सहायता करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

10. (पद आईडी सं. 23065310403) विद्युत मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (एनर्जी मार्केट) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर पद के लिए :

(क) शैक्षिक : किसी भी क्षेत्र में बी.ई./बी.टेक।

(ख) अनुभव : विद्युत के क्षेत्र में नीति और विनियामक, फ्रेमवर्क, मार्केट डिजाइन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर पद के लिए :

- (क) शैक्षिक : किसी भी क्षेत्र में बी.ई./बी.टेक।
(ख) अनुभव : विद्युत क्षेत्र में नीति और विनियामक, फ्रेमवर्क, मार्केट डिजाइन और कार्यान्वयन में सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण

वांछनीय :

- (i) अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री।
(ii) ऊर्जा क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव।
(iii) ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों, विनियामक निकायों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ कार्य का अनुभव।

कार्य विवरण :

- (i) विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और बाजार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियों का विकास और कार्यान्वयन करना।
(ii) विद्युत बाजारों से संबंधित नीतियों और विनियमनों का विकास और कार्यान्वयन करना।
(iii) डिजाइन पर तकनीकी विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करना और विद्युत बाजार क्रिया-विधि का कार्यान्वयन।
(iv) विद्युत बाजारों के प्रदर्शन की निगरानी करना और मूल्यांकन करना और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करना।
(v) विद्युत बाजारों से संबंधित अनुसंधान और विश्लेषणात्मक गतिविधियों का प्रबंधन करना और समन्वय करना।
(vi) विद्युत बाजारों के विकास के लिए अवसरों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए आंतरिक और बाह्य हितधारकों के साथ सहयोग करना।

11. (पद आईडी सं. 23065311403) विद्युत मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (भंडारण प्रौद्योगिकी) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : किसी भी क्षेत्र में बी.ई./बी.टेक।

(ख) अनुभव : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव सहित विद्युत क्षेत्र में प्रोद्योगिकी, नीति एवं नियामक फ्रेमवर्क में दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : किसी भी क्षेत्र में बी.ई./बी.टेक।

(ख) अनुभव : नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव सहित विद्युत क्षेत्र में तकनीकी, नीति एवं नियामक फ्रेमवर्क में सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण :

वांछनीय :

- (i) ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव।
- (ii) ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों, नियामक निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य करने का अनुभव।

कार्य विवरण :

- (i) ग्रिड स्केल भंडारण के लिए भंडारण प्रोद्योगिकी के परिनियोजन के लिए कार्यनीतियां विकसित और कार्यान्वित करना।
- (ii) हितधारकों से सहयोग करते हुए भंडारण प्रोद्योगिकी के परिनियोजन के लिए अवसरों एवं चुनौतियों की पहचान करना।
- (iii) भंडारण प्रोद्योगिकियों के विकास एवं संवर्द्धन हेतु किए गए प्रयासों के प्रगति को ट्रैक करने के लिए एजेंसियों के साथ सहयोग करना।
- (iv) नवीकरणीय ऊर्जा हेतु भंडारण प्रोद्योगिकी के विकास एवं कार्याव्ययन पर तकनीकी इन्पुट्स एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (v) ग्रिड स्केल भंडारण प्रोद्योगिकी के कार्य निष्पादन की निगरानी एवं मूल्यांकन करना तथा सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना।

(vi) भंडारण प्रोद्योगिकी से संबंधित नीतियों, नियमों, दिशा-निर्देशों का विकास एवं कार्यान्वयन करना।

12. (पद आईडी सं. 23065312403) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (ग्रामीण आजीविका) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : ग्रामीण विकास (सामाजिक क्षेत्र) से संबंधित कार्य में प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षण कार्य का दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद के लिए :

(क) शैक्षिक : किसी भी विषय में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : ग्रामीण विकास (सामाजिक क्षेत्र) से संबंधित कार्य में प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षण के रूप में सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण :

वांछनीय :

(i) डॉक्टरेट डिग्री।

(ii) ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम/परियोजना का अनुभव।

कार्य विवरण :

(i) एस.आर.एल.एम. के माध्यम से निम्नलिखित सहित दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई-एन.आर.एल.एम) को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करना:

(क) ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक रूप से मोबिलाइज करना।

(ख) स्वयं सहायता समूहों / स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधि चलाना।

(ग) स्वयं सहायता समूहों का वित्तीय समावेशन।

(घ) संगठित समूहों / सदस्यों के लिए कृषि एवं गैर-कृषि आजीविका गतिविधियां चलाना।

(ii) इंटर एंव इंटर मंत्रालयी समन्वय।

(iii) सौंपे गए कार्यों से संबंधित प्रशासनिक कार्य।

13. (पद आईडी सं. 23065313403) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (ए.आई./एम.एल.) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद हेतु :

(क) **शैक्षिक :** सूचना प्रौद्योगिकी/ कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक या कंप्यूटर ऐप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी/ कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ख) **अनुभव :** निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में ए.आई. / एम.एल. प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए मॉडल परिनियोजन में कम से कम दो वर्ष के अनुभव के साथ आई.टी. परामर्श/आधिकारिक सांख्यिकी/वृहत डेटाबेस में दस वर्ष का अनुभव :-

(i) बी.आई. टूल्स/ए.आई./एम.एल./अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं का प्रबंधन करना।

(ii) वृहत डेटा प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन।

उप सचिव स्तर के पद हेतु : (क) **शैक्षिक :** सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक या

कंप्यूटर ऐप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में ए.आई./एम.एल. प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए मॉडल परिनियोजन में कम से कम दो वर्ष के अनुभव के साथ आई.टी. परामर्श/आधिकारिक सांख्यिकी/वृहत डेटाबेस में सात वर्ष का अनुभव :-

- (i) बी.आई. टूल्स/ए.आई./एम.एल./अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं का प्रबंधन करना।
- (ii) वृहत डेटा प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण :

वांछनीय :

सूचना प्रौद्योगिकी / बिजनेस एनालिटिक्स सहित एम.बी.ए./पी.जी.डी.एम.।

कार्य विवरण :

- (i) बी.आई. टूल्स / ए.आई. / एम.एल. / अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं का प्रबंधन करना।
- (ii) आँकड़ें तैयार करना, आँकड़ों को समझना, फ़ीचर इंजीनियरिंग और फ़ीचर चयन।
- (iii) डेटा पाइपलाइन तैयार करना।
- (iv) मॉडल बिल्डिंग, मूल्यांकन और विश्लेषण करना।
- (v) डेटा खनन लक्ष्यों, कार्यप्रणाली और गतिविधियों के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों को मैप करने के लिए विभिन्न डेटा साइंस फ्रेमवर्क और स्पष्टता को समझना।
- (vi) वृहत डेटा प्रौद्योगिकियों को लागू करना।

14. (पद आईडी सं. 23065314403) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में निदेशक / उप सचिव (एप्लीकेशन विकास) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद हेतु :

(क) **शैक्षिक :** सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक. या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ख) **अनुभव :** एप्लीकेशन विकास में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ आई.टी. परामर्श / आधिकारिक सांख्यिकी / वृहत डेटाबेस में दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद हेतु :

(क) **शैक्षिक :** सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक. या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ख) **अनुभव :** एप्लीकेशन विकास में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ आई.टी. परामर्श / आधिकारिक सांख्यिकी / वृहत डेटाबेस में सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण :

वांछनीय :

सूचना प्रौद्योगिकी / बिजनेस एनालिटिक्स के साथ एमबीए / पीजीडीएम।

कार्य विवरण :

(i) उच्च-उपलब्धता और प्रदर्शन देने के लिए हाइ-वाल्यूम, लो-लेटेन्सी एप्लीकेशन को डिजाइन और विकसित करना।

- (ii) विकास जीवनचक्र के सभी चरणों में योगदान देना।
- (iii) सुनिश्चित करना कि डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप में हों।
- (iv) सॉफ्टवेयर घटकों को तैयार करना और जारी करना।
- (v) विकल्पों और प्रौद्योगिकियों की जांच करके और इन्हें वास्तु समीक्षा के लिए प्रस्तुत करते हुए निरंतर सुधार में सहयोग करना।
- (vi) क्रॉस-प्लेटफॉर्म संगतता सुनिश्चित करना।
- (vii) एप्लीकेशन त्रुटियों की समस्या का निवारण करना।
- (viii) एप्लीकेशन प्रबंधन।
- (ix) एप्लीकेशन का सर्वोत्तम संभव कार्यनिष्पादन, गुणवत्ता और अनुक्रियता सुनिश्चित करना।
- (x) बाधाओं(बॉटलनेक) और बग्स की पहचान करना और ठीक करना।
- (xi) कोड गुणवत्ता, संगठन और आटोमेटाइजेशन को बनाए रखने में सहायता करना।
- (xii) डेटा माइग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्क्रिप्टिंग सहित एक सिस्टम में अनेक डेटा स्रोतों और डेटाबेस का एकीकरण करना।
- (xiii) कोड संस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, दस्तावेज़ीकरण और परिनियोजन के साथ सॉफ्टवेयर कार्य गति(वर्कफ़्लो) प्रबंधन करना।

15. (पद आईडी सं. 23065315403) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (डेटाबेस डिजाइन) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद हेतु :

(क) शैक्षिक : सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक. या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर

डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में आईटी परियोजनाओं में डेटाबेस डिजाइन में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ आईटी परामर्श / आधिकारिक सांख्यिकी / वृहत डेटाबेस में दस वर्ष का अनुभव : -

- (i) वृहत डेटा प्रौद्योगिकी।
- (ii) आइडेंटिटी और एक्सेस प्रबंधन के साथ डेटाबेस आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर।
- (iii) डेटा माइग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्क्रिप्टिंग सहित एक सिस्टम में अनेक डेटा स्रोतों और डेटाबेस का एकीकरण।

उप सचिव स्तर के पद हेतु :

(क) शैक्षिक : सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक. या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव : निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में आईटी परियोजनाओं में डेटाबेस डिजाइन में कम से कम पांच वर्षों के अनुभव के साथ आईटी परामर्श / आधिकारिक सांख्यिकी / वृहत डेटाबेस में सात वर्ष का अनुभव :-

- (i) वृहत डेटा प्रौद्योगिकी।
- (ii) आइडेंटिटी और एक्सेस प्रबंधन के साथ डेटाबेस आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर।
- (iii) डेटा माइग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्क्रिप्टिंग सहित एक सिस्टम में अनेक डेटा स्रोतों और डेटाबेस का एकीकरण।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण :

वांछनीय :

सूचना प्रौद्योगिकी / बिजनेस एनालिटिक्स के साथ एमबीए / पीजीडीएम

कार्य विवरण :

- (i) आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के साथ डेटाबेस आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का कार्यान्वयन।
- (ii) डेटा माइग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्क्रिप्टिंग सहित एक सिस्टम में अनेक डेटा स्रोतों और डेटाबेस का एकीकरण।
- (iii) बिग डेटा प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन।
- (iv) कोड संस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, दस्तावेज़ीकरण और परिनियोजन के साथ सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो प्रबंधन।

16. (पद आईडी सं. 23065316403) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (फ्रंटएंड वेब डिजाइन) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद हेतु :

(क) शैक्षिक : (सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) में बीई / बीटेक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.एस.सी।

(ख) अनुभव : निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ आईटी परामर्श / आधिकारिक सांख्यिकी / वृहद् डेटाबेस में दस वर्ष का अनुभव :

- (i) ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का उपयोग करके आईटी में फ्रंटएंड वेब डिजाइन और विकास।
- (ii) अनुक्रिया डिजाइन के लिए यूआई/यूएक्स स्ट्रक्चर और पोर्टल के डिजाइन का निर्माण।
- (iii) वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क।

उप सचिव स्तर के पद हेतु :

(क) शैक्षिक : (सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) में बीई / बीटेक या एमसीए या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.एससी।

(ख) अनुभव : निम्नलिखित में से किसी भी क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ आईटी परामर्श / आधिकारिक सांख्यिकी / वृहत डेटाबेस में सात वर्षों का अनुभव :

- (i) ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का उपयोग करके आईटी में फ्रंटएंड वेब डिजाइन और विकास।
- (ii) अनुक्रिया डिजाइन के लिए यूआई/यूएक्स स्ट्रक्चर और पोर्टल के डिजाइन का निर्माण।
- (iii) वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण :

वांछनीय :

सूचना प्रौद्योगिकी / बिजनेस एनालिटिक्स के साथ एमबीए / पीजीडीएम।

कार्य विवरण :

- (i) वेब पोर्टल और विजुअलाइज़ेशन के लिए सर्वोत्तम प्रैक्टिस का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- (ii) अनुक्रिया डिजाइन के लिए यूआई/यूएक्स स्ट्रक्चर का निर्माण और पोर्टलों का डिजाइन।
- (iii) वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज और जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क पर कार्य।
- (iv) उपयोगकर्ता अनुभव पर ध्यान देते हुए स्क्रीन मॉक-अप का निर्माण।

(v) कोड संस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, दस्तावेज़ीकरण और परिनियोजन के साथ सॉफ्टवेयर वर्कफ़्लो प्रबंधन।

17. (पद आईडी सं. 23065317403) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में निदेशक/उप सचिव (लिनक्स आधारित सर्वर मैनेजर) का एक पद।

अनिवार्य योग्यताएं :

निदेशक स्तर के पद हेतु :

(क) **शैक्षिक :** (सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) में बी.ई. / बी.टेक. या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.एससी।

(ख) **अनुभव :** आईटी परियोजनाओं में लिनक्स आधारित क्लाउड सर्वर प्रबंधन और नेटवर्क सुरक्षा प्रशासन / एप्लीकेशन सुरक्षा विश्लेषक के रूप में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ आईटी परामर्श / आधिकारिक सांख्यिकी / बिग डेटाबेस में दस वर्ष का अनुभव।

उप सचिव स्तर के पद हेतु :

(क) **शैक्षिक :** (सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग) में बी.ई. / बी.टेक. या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या सूचना प्रौद्योगिकी / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.एससी।

(ख) **अनुभव :** आईटी परियोजनाओं में लिनक्स आधारित क्लाउड सर्वर प्रबंधन और नेटवर्क सुरक्षा प्रशासन / एप्लीकेशन सुरक्षा विश्लेषक के रूप में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ आईटी परामर्श / आधिकारिक सांख्यिकी / बिग डेटाबेस में सात वर्ष का अनुभव।

दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए वांछनीय योग्यताएं और कार्य विवरण :

वांछनीय :

सूचना प्रौद्योगिकी / बिजनेस एनालिटिक्स के साथ एमबीए / पीजीडीएम।

कार्य विवरण :

- (i) होस्टिंग परिवेश के प्रबंधन के लिए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और डेटा और क्लाउड-आधारित परिवेश का बैकअप बनाना शामिल है।
- (ii) आईडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के साथ सर्वर-साइड टेक्नोलॉजी, डेटाबेस का विकास और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का कार्यान्वयन।
- (iii) डेटा माइग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्क्रिप्टिंग सहित एक सिस्टम में अनेक डेटा स्रोतों और डेटाबेस का एकीकरण।
- (iv) एस.एस.एल. सर्टिफिकेट का कार्यान्वयन और सुरक्षा ऑडिट और प्रमाणन करना।
- (v) पेनीट्रेशन परीक्षण और सुरक्षा लेखा परीक्षा।
- (vi) ऑडिट, उत्पादों या सहयोग के माध्यम से पाए गए जोखिमों का प्रबंधन, विश्लेषण और ट्रैकिंग।
- (vii) एस.टी.क्यू.सी. और जी.आई.जी.डब्ल्यू. दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन।
- (viii) एनआईसी क्लाउड डिप्लोयमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस - लोड बैलेंसर, डिजास्टर रिकवरी।
- (ix) सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के पुस्तकालय का अद्यतन विकास और रख-रखाव करना।
- (x) परियोजना सुरक्षा योजनाओं की स्थापना करना और प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करना।
- (xi) प्रोजेक्ट डिलिवरी के लिए सुरक्षा मुद्दों और जोखिमों की समय रहते पहचान करना और उनका प्रबंधन करना।
- (xii) प्रोजेक्ट सिक्योरिटी निर्भरताओं का प्रबंधन करना और विभिन्न क्रॉस-प्रोजेक्ट मंचों में परियोजना का प्रतिनिधित्व करना।

- (xiii) सुरक्षा पोस्चर और अटैक वेक्टर मैपिंग सहित प्रोजेक्टस की डिजाइन समीक्षा करना।
- (xiv) जोखिम रिपोर्ट का विश्लेषण करना, जोखिमों को अलग करना और प्राथमिकता देना एवं प्रभाव विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन करना और झूठे पोजिटिक्स की पहचान करना।

टिप्पणी-1: संबंधित मंत्रालय / विभाग उपर्युक्त पदों के संबंध में (क्रम संख्या 1 से 17 तक) कार्य विवरण में दर्शाए गए कार्य, जो केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं, के स्थान पर / इनके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य सौंप सकता है।

टिप्पणी-2: उपर्युक्त सभी पद (क्रम संख्या 1 से 17 तक) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे (i) दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि की अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन (**बी**) या अल्प दृष्टि (**एलवी**), (ii) बधिर और ऊंचा सुनने की अक्षमता अर्थात् बधिर (**डी**) या ऊंचा सुनने वाले (**एचएच**), (iii) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण की अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (**बीएल**) या दोनों हाथ प्रभावित (**बीए**) या एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (**ओएल**) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (**ओए**) या दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित (**बीएलए**) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (**ओएलए**) या दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित (**बीएलओए**) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (**सीपी**) या कुष्ठरोग उपचारित (**एलसी**) या बौनापन (**डीडब्ल्यू**) या तेजाबी हमले से पीड़ित (**एएवी**) या मांसपेशीय कुपोषण (**एमडीवाई**) या बहुविध अक्षमता (**एमडी**) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हैं।

(महत्वपूर्ण)

उपर्युक्त पदों के लिए वेबसाइट <https://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक **03-06-2023** से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओ.आर.ए.) आमंत्रित किए जाते हैं।

ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तिथि **03.07.2023 को 23.59 बजे तक** है।

पूर्ण रूप से ऑन-लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि **04.07.2023 को 23.59 बजे तक** है।

सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

साक्षात्कार की तिथि, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी।

1. पात्रता: संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए न्यूनतम पन्द्रह वर्ष का अनुभव, निदेशक स्तर के पदों के लिए दस वर्ष का अनुभव और उप सचिव स्तर के पदों के लिए सात वर्ष का अनुभव रखने वाले निम्नलिखित अधिकारी/व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र हैं:

क. किसी राज्य / संघ शासित क्षेत्र सरकार के ऐसे अधिकारी जो पहले से ही समकक्ष स्तर के पद पर कार्य कर रहे हैं अथवा संगत अनुभव के साथ अपने संवर्ग में समकक्ष स्तर पर नियुक्ति हेतु पात्र हैं।

- ख. ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में इसी के समतुल्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं।
- ग. ऐसे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्शी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय / बहुराष्ट्रीय संगठनों में इसी के समतुल्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

2. समतुल्य स्तर

समतुल्य / समकक्ष स्तर को निम्नानुसार परिभाषित किया जाएगा :

- क) संयुक्त सचिव स्तर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम सकल वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23 में से किसी भी वर्ष के दौरान फॉर्म-16/आईटीआर के अनुसार रू.35 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।
- ख) निदेशक स्तर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम सकल वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23 में से किसी भी वर्ष के दौरान फॉर्म-16 / आईटीआर के अनुसार रू.20 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।
- ग) उप सचिव स्तर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम सकल वेतन वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2022-23 में से किसी भी वर्ष के दौरान फॉर्म-16 / आईटीआर के अनुसार रू.15 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।

टिप्पणी : अंतिम तिथि तक वर्ष 2022-2023 के लिए फॉर्म-16 / आईटीआर प्रस्तुत करने में अक्षम होने पर, उम्मीदवारों को एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि यह साक्षात्कार से पहले प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी : केन्द्र सरकार के कर्मचारी इन पदों पर आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

3. आयु तथा वेतन :

क) **संयुक्त सचिव स्तर के पद** के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः **40 और 55 वर्ष** है तथा वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-14 के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा (वर्तमान स्तर पर मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता सहित सकल वेतन लगभग **रु.2,66,000/- प्रति माह** होगा)।

ख) **निदेशक स्तर के पद** के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः **35 और 45 वर्ष** है तथा वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-13 के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा (वर्तमान स्तर पर मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता सहित सकल वेतन लगभग **रु.2,18,000/- प्रति माह** होगा)।

ग) **उप सचिव स्तर के पद** के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः **32 एवं 40 वर्ष** है तथा वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-12 के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा (वर्तमान स्तर पर मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ता सहित सकल वेतन लगभग **रु.1,43,000/- प्रति माह** होगा)।

(घ) तथापि, सरकार के पास, नियुक्त होने वाले सुपात्र व्यक्तियों को वेतनमान के भीतर समुचित स्तर पर रखने का अपना अधिकार सुरक्षित है।

(ङ) आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तारीख ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी।

4. अन्य शर्तें :

क) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित अन्य संविधियों और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उद्देश्य से नियुक्त सभी व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाएगा।

ख) कार्यकाल: अनुबंध/प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी जिसे कार्य निष्पादन और अपेक्षा के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

ग) नियोजन अनुबंध को न्यूनतम 3 महीने का नोटिस देकर किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

घ) निदेशक के पद के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक, निदेशक के पद के लिए संस्तुति किए जाने के पात्र होंगे और उप सचिव के पद के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक उप सचिव के पद के लिए संस्तुति किए जाने के पात्र होंगे।

5. अन्य विवरण :

उपर्युक्त सभी पद समूह 'क' में हैं। निजी क्षेत्र से उम्मीदवार की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर चयनित उम्मीदवार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तों के अनुसार होगी। राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की मानक अवधि के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

6. मुख्यालय :

नई दिल्ली।

टिप्पणी-1 : उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> देखें। "उम्मीदवार के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना" सहित विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in> और वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> पर प्रदर्शित किया गया है।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से केवल ऑन-लाइन आवेदन करें और आवेदन प्रपत्रों के लिए आयोग को न लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे पदों के लिए नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं

1. नागरिकता :

उम्मीदवार भारत का नागरिक हो।

2. न्यूनतम अनिवार्य योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी-II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग शार्टलिस्ट किए जाने के निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को तर्कसंगत सीमा तक कम कर सकता है :

(i) वांछनीय योग्यता (वां.यो.) के आधार पर (किसी एक या दो या अधिक के संयोजन से या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित हैं)।

- (ii) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा उच्चतर संगत शैक्षिक योग्यता के आधार पर।
- (iii) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा उच्चतर अनुभव के आधार पर।

इसलिए, उम्मीदवारों को चाहिए कि न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त, संगत क्षेत्र में अपनी सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करें।

टिप्पणी-III :

महत्वपूर्ण
साक्षात्कार में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर कुल 100 (एक सौ) अंकों में से 50 (पचास) अंक होंगे।

1. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यतः वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) आदि या यदि अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में दस्तावेजों / प्रमाण-पत्रों को प्रत्येक दावे के समर्थन में अलग-अलग पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक न हो तथा "अपलोड अन्य दस्तावेज" के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे।

निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म-तिथि दर्शाई गई हो, या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष की अंकतालिका या समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें आयु के दावे के समर्थन में जन्म-तिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र / अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (तमिलनाडु और केरल के मामले में)।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र की प्रति। डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र अपलोड किया जा सकता है।

(ग) समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार शैक्षिक योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण का उल्लेख करते हुए उस आदेश / पत्र की प्रति (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया है।

(घ) अनुभव के लिए नियोक्ता के द्वारा जारी अद्यतन और पूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है (प्रारूप के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म में लिंक दिया गया है) जिसमें कार्यों की प्रकृति, दिनांक और अनुभव की अवधि, स्तर / स्थिति, जिम्मेदारियों आदि को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। यदि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़, किए गए दावे का समर्थन नहीं करते हैं, तो आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

इसी तरह, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, लेकिन उस के समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र, दावा की गई सम्पूर्ण अवधि के लिए नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है तब उस स्थिति में आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। संगत अनुभव की केवल उस समय अवधि पर विचार किया जाएगा जिसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आमतौर पर, नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, स्थानांतरण आदेश, त्याग पत्र, वेतन प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, तैनाती आदेश, शपथ पत्र और उम्मीदवारों द्वारा स्वयं प्रमाणित प्रमाणपत्र या स्व रोजगार प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र को अनुभव का प्रमाण नहीं माना जाता है। तथापि, यदि उम्मीदवार दिए गए प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो कोई भी दस्तावेज जिसमें दावा किए गए अनुभव, कार्य की प्रकृति और अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो, प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि उम्मीदवार पिछले नियोक्ता से कार्य की प्रकृति को इंगित करने वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो इसे वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / सत्यापित करवा सकते हैं।

उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी जानकारी सही हो।

(ड) मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप ([लिंक https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas](https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas)) में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पी डब्ल्यू बी डी) के लिए प्रमाण पत्र।

(च) किए गए किसी भी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण विधिवत रूप से राजपत्रित अधिकारियों या नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित करके अपलोड करना होगा।

iii) **महत्वपूर्ण:** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑन-लाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑन-लाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन भर्ती आवेदन को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता / करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर “आवेदन सं.” वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर “आवेदन सं.” वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

3.(ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

“चेतावनी”

ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच तभी की जाएगी जब उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा की गई योग्यता और अनुभव की जानकारी के आधार पर प्रथमदृष्टया या शार्टलिस्ट करने योग्य हों। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों, दावों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा शार्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों को शार्टलिस्ट करने का आधार बनाया जाएगा। अतः उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए निम्न से विवर्जित भी कर सकता है:

- आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।
- केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से।

4. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण-पत्र

ऑन-लाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र में दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी :-

(क) मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन / 10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में

जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका में जन्म की तारीख का उल्लेख न किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तारीख (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री / डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न होने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा

(ग) यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र को (संख्या तथा तारीख सहित) संलग्न करना होगा जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए अनुभव के समर्थन में मूल दस्तावेज।

(ङ) मेडिकल फिटनेस के निर्धारित मानकों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए प्रमाण-पत्र (लिंक <https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas>)।

(च) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) महिलाओं के विवाह के मामले में - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में - पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख / मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का उल्लेख हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) तलाकशुदा महिलाओं के मामले में - तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन होने के मामले में - एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर शपथ आयुक्त के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(छ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी I : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में उल्लिखित जन्म की तारीख अन्तिम है। बाद में जन्म की तारीख में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा या अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

टिप्पणी II : उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट करने के संबंध में वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग / अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को नहीं गिना जाएगा /

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यांतरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अधिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

5. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज में या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी भी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया हुआ/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

कोई उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है :

- (क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (ख) जाली आदमी बनकर, अथवा
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया है, अथवा
- (घ) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
- (ङ) गलत या झूठे कथन किए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
- (च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (छ) परीक्षण के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
- (ज) उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
- (झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

- (ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा
- (ठ) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया गया हो।
- (ड) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे -
- (i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और / अथवा
- (ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
- आयोग द्वारा, उनके द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से
 - केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और
- (iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

6. अन्य सूचना / अनुदेश :

(क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हों या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या निजी रोजगार में हों, उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही नियमित सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक / तदर्थ / दैनिक मजदूरी / घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।

(ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तारीख वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख होगी।

(ग) यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/ पत्र, जारी करने वाले प्राधिकरण का उल्लेख (संख्या तथा तारीख के साथ) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।

(घ) उम्मीदवारों को आवश्यकता पड़ने पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए नई दिल्ली में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है।

(ङ) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।

(च) उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य जांच कराने के लिए तैयार रहना होगा और चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।

(छ) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग, भर्ती के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।

(ज) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा / साक्षात्कार हॉल परिसर में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

(क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरुष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

(ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं. 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

(ग) विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए **निर्धारित प्रपत्र** के प्रारूप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in> पर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स के (लिंक <https://www.upsc.gov.in/recruitment/recruitment-performas>) के तहत भर्ती शीर्ष में उपलब्ध कराए गए हैं। उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सकते हैं और तदनुसार भर सकते हैं।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार हॉल परिसर में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।